निर्णय बइजलास शुभम चौधरी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

प्रकरण संख्या 25/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन) जीसीएमएस नं. 2025/92

आवास फाईनेंशियर्स लिमिटेड जयपुर

....प्रार्थी

1. श्री सांवलिया सैनी पुत्र मदन सैनी पता– माताजी मन्दिर के पास, आटूण कलां बी.ओ. सवाई माधोपुर । अन्य पता– पट्टा नं0 38, बुक नं. 22 खसरा नं. 481 ग्राम आटूण कलां नियर माताजी मन्दिर पंचायत समिति व जिला सवाई माधोपुर।
2. श्रीमती सुनीता सैनी पत्नी सावंलिया सैनी पता– आटूण कलां बी.ओ. सवाई माधोपुर।
3. आयूब मंसूरी पुत्र सलामूद्दीन पता– गीता भवन रोड, आलनपुर, सवाई माधोपुर।

..........अप्रार्थी/ऋणी

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

–:: आदेश ::–

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 27.09.2022 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में श्री सांवलिया सैनी पुत्र मदन लाल सैनी पता ग्राम आटूण कलां, जिला सवाई माधोपुर की सम्पत्ति पट्टा सं. 38, खसरा नं. 481 ग्राम आटूण कलां, ग्राम पंचायत आटूणकलां जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में लखपत सैनी पुत्र हीरा सैनी की भूमि, उत्तर में हरकेश सैनी पुत्र रामकिशन सैनी का मकान व दक्षिण में आम रास्ता है, जिसका क्षेत्रफल 111.11 वर्ग गज है, को बंधक रखकर 7,50,000/– (सात लाख पचास हजार रूपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति जारी की गयी थी, किन्तु अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण की किश्ते नहीं देने के कारण अप्रार्थी ऋणी को 6,00,000/– (छः लाख रूपये मात्र) की ऋण राशि ही जारी की गयी थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06.12.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने साथ ही दिनांक 08.12.2024 को समाचार पत्र में साया करवाये जाने के बावजूद बकाया ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि को सुना। पत्रावली का भलीभॉति अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 06.12.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया साथ ही दिनांक 08.12.2024 को समाचार पत्र में साया करवाया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नही किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति पट्टा सं. 38, खसरा नं. 481 ग्राम आटूण कलां, ग्राम पंचायत आटूणकलां जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में लखपत सैनी पुत्र हीरा सैनी की भूमि, उत्तर में हरकेश सैनी पुत्र रामकिशन सैनी का मकान व दक्षिण में आम रास्ता है, जिसका क्षेत्रफल 111.11 वर्ग गज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
4. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
5. आदेश आज दिनांक 20·3·2025 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:31:49 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner